सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
प्रिंसिपल बैंच,
मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणए नई दिल्ली।
(द्वारा ई–मेल)

विषयः. मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ०ए० संख्या–712/2024 विपिन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश दिनांक 05.08.2024 के अनुपालन में आख्या।

महोदय,

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ०ए० संख्या–712/2024 विपिन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश दिनांक 05.08.2024 मे निम्नानुसार आदेश पारित किया गया हैः–

1. This original application under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') has been registered in exercise of suo-moto jurisdiction on the basis of a letter petition dated 17.10.2023 sent by Vipin Kumar S/o Ganga Bishan, R/o Village Dabaka, Meerut alleging that Ashok Kumar Tyagi S/o Kalicharan Tyagi, R/o Gali No. 01, H.No. 12, Phoolbagh Colony, Meerut is carrying out soil filling activities in his land and also encroaching upon some government land; green trees standing thereon are sought to be cut illegally by pouring some chemical and powder so as to get the trees dried. Four trees have already dried, one has been cut by JCB machine, four are likely to be cut since they are at the verge of getting dried up. 2. In our view, above complaint can be looked into at the first instance by Statutory Regulator and local authorities and if they find any violoation of environmental laws, appropriate action shall be taken against the violator. 3. In view thereof, we constitute a Joint Committee comprising District Magistrate-Meerut, Divisional Forest Officer, Meerut and U.P Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'UPPCB'). 4. Divisional Forest Officer, Meerut shall be nodal agency for coordination and compliance. 5. Above Committee shall visit the site, collect relevant information and if finds violation of environmental law and/or norms and illegal cutting of trees, take appropriate remedial, punitive and prohibitory action in accordance with law within two months. 6. Committee shall submit compliance report with Registrar General of this Tribunal, who if finds necessary, may place the matter before the Bench for further orders.7. With the above direction, application is disposed of. 8.A copy of this order along with copy of complaint be sent to District Magistrate-Meerut, Divisional Forest Officer, Meerut; and U.P Pollution Control Board by email for compliance."

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निम्नानुसार अवगत कराना हैः–

1– मा0 हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 05.08.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी मेरठ के पत्रांक 754/35–3/NGT/DFO-MRT दिनांक 23.08.2024 द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ की अध्यक्षता में जाँच समिति का गठन किया गया। **(संलग्नक–01)**

2– प्रकरण में जाँच समिति द्वारा अभीलेखीय निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि वृक्षों को क्षति पहुँचाने के क्रम में वन अपराध (रेंज केस संख्या–08/2023–24) रिठानी रेंज दिनांक 10.09.203 व रेंज केस संख्या 13/2023–24 रिठानी रेंज दिनांक 24.10.2023 दर्ज करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई है। (क्षेत्रीय वन अधिकारी रिठानी की आख्या दिनांक 16.08.2024 **(संलग्नक–02)**

3– प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी मेरठ द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन मेरठ के पत्रांक 1438/35–3/ NGT/DFO-MRT दिनांक 04.10.2024 द्वारा रिपोर्ट जिलाधिकारी मेरठ को प्रेषित की गई। **(संलग्नक–03)**

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

पत्रांक 754/35–3./NGT/DFO-MRT दिनांक 23अगस्त 2024

कार्यालय आदेश

मा0 हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या OA-712/2024 विपिन कुमार बनाम STATE OF UP में दिनांक 05.08.2024 को आदेश पारित करते हुए कतिपय व्यक्तियों द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण व वृक्षों को अवैध रूप से काटने के सम्बन्ध में नियमानुसार जाँच कर कार्यवाही करनें का आदेश पारित किया गया है, पारित आदेश का प्रभावी अंग हैः–

"1. In our view, above complaint can be looked into at the first instance by Statutory Regulator and local authorities and if they find any violation of environmental laws, appropriate action shall be taken against the violator.

2. In view thereof, we constitute a Joint Committee comprising District Magistrate-Meerut, Divisional Forest Officer, Meerut and U.P Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'UPPCB').

3. Divisional Forest Officer, Meerut shall be nodal agency for coordination and compliance.

4. Above Committee shall visit the site, collect relevant information and if finds violation of environmental law and/or norms and illegal cutting of trees, take appropriate remedial, punitive and prohibitory action in accordance with law within two months.

5. Committee shall submit compliance report with Registrar General of this Tribunal, who if finds necessary, may place the matter before the Bench for further orders.

6. With the above direction, application is disposed of.

8. A copy of this order along with copy of complaint be sent to District Magistrate-Meerut, Divisional Forest Officer, Meerut; and U.P Pollution Control Board by email for compliance."

अतः मा0 हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2024 के क्रम में जाँच समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः–

1. **अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ–अध्यक्ष।**
2. **उप प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ–सदस्य।**
3. **क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण–बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ–सदस्य।**

उपरोक्त जाँच समिति 15 दिन के भीतर स्थलीय जाँच कर नियमानुसार जाँच एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या मा0 हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में दायर करेगी, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

20/8/2024
जिलाधिकारी
मेरठ।

संख्याः /35–3./NGT/DFO-MRT तकदिनांकित

प्रतिलिपिः– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उप प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण–बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय वन अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मेरठ।

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी, रिठानी मेरठ

पत्रांक 41/33–3, दिनांक 16 अगस्त 2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

द्वारा– उप प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ

विषय : **विपिन कुमार पुत्र गंगा बिशन निवासी डाबका मेरठ द्वारा अशोक कुमार त्यागी पुत्र स्व0 कालीचरण मं.नं. 12 फूल बाग कॉलोनी मेरठ की एन.जी.टी में की गई शिकायत के संबध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि श्री विपिन कुमार पुत्र गंगाबिशन, निवासी डावका द्वारा एन.जी.टी में की गई शिकायत के संबंध में बिंदुवार आख्या निम्न प्रकार सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महोदय अवगत कराना है की दिल्ली मेरठ बाईपास (एन.एच.58) मार्ग किलोमिटर 64 की दाईं पटरी के सामने अशोक कुमार त्यागी पुत्र स्व. कालीचरण निवासी मं0नं0 12 फूलबाग कॉलोनी मेरठ का प्लॉट है। प्लॉट के सामने मार्ग पटरी पर 24 वृक्ष विद्यमान थे। अभियुक्त अशोक कुमार त्यागी ने अपने प्लॉट में मिट्टी भराव करते समय सड़क पटरी पर मिट्टी भराव कर तीन वृक्षों को क्षति पहुंचाकर सुखा दिया था। वृक्षों को सुखाने के अपराध में अभियुक्त के विरुद्ध रेंज केस संख्या 8/2023–24 रिठानी रेंज जारी किया गया। विभागीय कार्यवाही करते हुए अभियुक्त से वन अपराध में ई–3 संख्या 041/2591 दिनांक–12.09.2023 के द्वारा प्रतिकर स्वरूप रु0 21000.00 प्राप्त किया गया।
2. महोदय अभियुक्त द्वारा सड़क पटरी पर डाली गई मिट्टी को उठाने हेतु कहा गया था । जिसके क्रम में अभियुक्त द्वारा मिट्टी हटाने के संयंत्र द्वारा मिट्टी हटाते समय मौके पर खड़े शेष 21 वृक्षों में से 04 वृक्षों की जड़ों को हिलाकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। जिसके सापेक्ष अभियुक्त के विरुद्ध रे0केस संख्या 13/2023–24 रिठानी रेंज जारी कर कर विभागीय कार्यवाही करते हुए अभियुक्त से ई–3 संख्या 052/2591 दिनांक 25.10.2023 द्वारा प्रतिकर के रूप में 21000.00 रुपए वसूल कर कोषागार में जमा किये गये।
3. महोदय दिल्ली मेरठ बाईपास (एन.एच.58) मार्ग कि.मी 64 की दायीं पटरी के सामने अभियुक्त अशोक कुमार त्यागी का अपना निजि प्लॉट है । अपने निजि प्लॉट में मिट्टी भराव के समय में क्षतिग्रस्त किए गये वृक्षों का प्रतिकर वसूलकर विभागीय कार्यवाही की गयी थी। अभियुक्त अशोक कुमार त्यागी के प्लॉट के सामने सड़क पटरी पर 24 वृक्ष विद्यमान थे। विद्यमान 24 वृक्षों में से क्रमशः 03 वृक्ष सुखाने का एवं 04 वृक्षों को संयत्र द्वारा क्षतिग्रस्त करने हेतु उ0प्र0 संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत क्रमशः रेंज केस संख्या 08/2023–24 तथा 13/2023–24 रिठानी रेंज जारी किये गये। उक्त केसों में कुल 07 वृक्षों को अभियुक्त द्वारा सुखाया अथवा क्षतिग्रस्त किया गया था। वर्तमान में मौके पर 01 वृक्ष प्रकृति रूप से सुखा हुआ तथा 16 वृक्ष हरे खड़े स्थित हैं। इस प्रकार उक्त 07 वृक्षों के अतिरिक्त कोई अन्य वृक्ष अभियुक्त द्वारा नही काटा गया है।
4. महोदय यहाँ यह भी स्पष्ट करना है की दिल्ली मेरठ (एन.एच.58) बाईपास मार्ग पर अभियुक्त अशोक कुमार त्यागी द्वारा मिट्टी भराव कर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। जिसे अभियुक्त द्वारा ही मिट्टी हटवाकर विफल करा दिया गया था। उक्त मार्ग की पटरी की भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई) का स्वामित्व है, वन विभाग का स्वामित्व भूमि पर नहीं है, परन्तु वन विभाग द्वारा रोपित किये गये वृक्षों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त द्वारा किये गये मिटटी भराव को हटवाया गया। ताकि भराव के कारण भविष्य में शेष वृक्षों को कोई नुकसान न हो सके।

रिपोर्ट सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रिठानी रेंज (मेरठ)

संयुक्त जॉच आख्या

श्री विपिन कुमार पुत्र श्री गंगा बिशन ग्राम डाबका जनपद मेरठ ने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2023 में उल्लेख किया गया है कि:–

शोभापुर योगीपुरम पुलिस चौकी के पास अशोक कुमार त्यागी पुत्र श्री कालीचरण त्यागी निवासी गली न0 01 मकान नं0 12 फूलबाग कालौनी मेरठ ने अपनी भूमि के साथ सरकारी भूमि का 03 माह से लगभग 6 फिट मिट्टी का भराव कार्य कराया जा रहा है, जिसमें से इनके द्वारा मिट्टी भ्राव से पहले वृक्षों की जड़ों में सूखाने वाला केमिकल और पाउडर डालकर मिट्टी भराव का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है, जिसकारण अब 04 वृक्ष मृतक एवं 01 वृक्ष जे0सी0बी0 से आधा तोड़ दिया गया है और 04 वृक्ष मृतप्राय के समान है, जो वृक्ष मृतक हो गये है, उन्हें जे0सी0बी0 से कभी भी तुड़वाया जा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा एवं पर्यावरण बचाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण में मा0 हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या OA-712/2024 विपिन कुमार बनाम STATE OF UP में दिनांक 05.08.2024 को आदेश पारित करते हुए कतिपय व्यक्तियों द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण व वृक्षों को अवैध रूप से काटने के सम्बन्ध में नियमानुसार जॉच कर कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया है, पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत् हैं:–

"1- in our view, above complaint can be looked into at the first instance by Statutory Regulator and local authorities and if they find any violation of environmental laws, appropriate action shall be taken against the violator.
2- in view thereof,we constitute a joint committee comprising District Magistrate-Meerut, Divisional Forest officer, Meerut and U.P. Pollution control Borad (hereinafter referred to as UPPCB)
3- Divisional Forest officer, Meerut shall be nodal agency for coordination and compliance.
4- Above committee shall visit the site, collect relevant information and if finds violation of environmental law and/ or norms and illegal cutting of trees, take appropriate remedial and prohibitory action in accordance with law within two months.
5- committee shall submit compliance report with Registrar General of this tribunal who if finds necessary, may place the matter before the bench for further orders.
6- with the above direction, application is disposed of.
7- A copy of this order along with copy of cmplaint be sent to District Magistrate-Meerut, Divisional Forest officer, Meerut and U.P. Pollution control Borad by email for compliance."

मा0 हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2024 के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के अनुरोध पर जिलाधिकारी मेरठ के पत्रांक 754/35–3/NGT/DFO-MRT दिनांक 23.08.2024 द्वारा जॉच समिति का गठन निम्नानुसार किया गया हैं:–

1– अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) मेरठ– अध्यक्ष।
2– उप प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ–सदस्य।
3– पर्यावरण अभियन्ता, प्रदूषण नियंत्रण–बोर्ड , क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ–सदस्य।

उपरोक्त जॉच समिति 15 दिन के भीतर स्थलीय जॉच कर नियमानुसार जॉच एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या मा0 हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में दायर करेगी।

समिति द्वारा दिनांक 24.09.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पायी गयी स्थिति एवं उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार हैं:–

शिकायत पत्र में उल्लिखित स्थल दिल्ली–मेरठ बाईपास(एन0एच058) मार्ग कि0मी0 64 दांयी पटरी के सामने अशोक कुमार त्यागी पुत्र श्री कालीचरन निवासी म0नं0 12 फूलबाग कालौनी मेरठ का प्लॉट है। प्लॉट के सामने मार्ग पटरी पर 24 वृक्ष विद्यमान थे। श्री अशोक कुमार त्यागी द्वारा अपने प्लॉट में मिट्टी भराव करते

क्रमशः– 2 पर

(2)

समय **07 वृक्षों** को क्षति पहुँचाकर नष्ट कर दिया गया है। जॉच में मौके पर 01 वृक्ष प्रकृतिक रूप से सूखा हुआ एवं 01 वृक्ष का ठूठ पाया गया है। जॉच में मौके पर 15 वृक्ष हरे खड़े है। क्षेत्रीय वन अधिकारी रिठानी द्वारा जॉच समिति को अवगत कराया गया है कि अभियुक्त द्वारा क्षतिग्रस्त किये गये **07 वृक्षों** के सम्बन्ध में अशोक कुमार त्यागी पुत्र श्री कालीचरन निवासी म0नं0 12 फूलबाग कालौनी मेरठ के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही करते हुए रेंजकेस संख्या 08/2023–24 (रिठानी रेंज) दिनांक 10.09.2023 व रेंजकेस संख्या 13/2023–24(रिठानी रेंज) दिनांक 24.10.2023 पंजीकृत किये गये। शिकायत में उल्लिखित भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का स्वामित्व है, वन विभाग का स्वामित्व नहीं है तथा स्थलीय जॉच में मौके पर अतिक्रमण नहीं पाया गया है। अभियुक्त अशोक कुमार द्वारा उक्त स्थल पर 14 पौधों का रोपण करा दिया गया है।

शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता करने पर उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि मौके पर खड़े 15 वृक्षों को कोई क्षति न पहुचने पाए तथा जॉच समिति की रिपोर्ट से वे सहमत है। अशोक कुमार त्यागी पुत्र श्री कालीचरन निवासी म0नं0 12 फूलबाग कालौनी मेरठ द्वारा मौके पर खड़े 15 वृक्षों व रोपित किये गये 14 पौधो की सुरक्षा एवं अनुरक्षण करने की लिखित में प्रतिबद्वता दी गयी है।

पर्यावरण अभियन्ता
प्रदूषण नियंत्रण–बोर्ड ,
क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ–सदस्य।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
मेरठ–सदस्य।

अपर जिलाधिकारी
(प्रशासन) मेरठ– अध्यक्ष।

कार्यालय अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, मेरठ।

पत्रांक 1538 /35–3/NGT/DFO-MRT मेरठ, दिनांक 05 अक्टूबर 2024

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय मेरठ की सेवा में उनके पत्रांक 754/35–3/NGT/DFO-MRT दिनांक 23.08.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ की सेवा में जिलाधिकारी मेरठ के पत्रांक 754/35–3/NGT/DFO-MRT दिनांक 23.08.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी मेरठ (सदस्य)।

प्रतिलिपि पर्यावरण अभियन्ता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ–सदस्य।

अपर जिलाधिकारी
(प्रशासन) मेरठ– अध्यक्ष।

GPS Map Camera
मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
2M52+HPH, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250001, भारत
Lat 29.008957°
Long 77.652313°
24/09/24 04:24 PM GMT +05:30
Google

संलग्नक-04

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP09091378046566W

सत्यमेव जयते

e-Stamp

₹10

Certificate No.	:	IN-UP09091378046566W
Certificate Issued Date	:	04-Oct-2024 11:37 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14436904/ MEERUT SADAR/ UP-MRT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14436904150883556077782W
Purchased by	:	ASHOK KUMAR TYAGI SO KALICHARAN TYAGI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ASHOK KUMAR TYAGI SO KALICHARAN TYAGI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	ASHOK KUMAR TYAGI SO KALICHARAN TYAGI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NIDHI AGARWAL ACC CODE UP14436904 UTTAR PRADESH

सत्यमेव जयते

₹10

Please write or type below this line IN-UP09091378046566W

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

विषय- N.H.58 पर 64 Km की परिधि में पल्लवपुरम चैक पोस्ट के पास मेरे गुरुकुल की पटरी पर सूखे सात सरकारी वृक्षों के स्थान पर चौदह वृक्ष लगाने व एक पेड़ के पास 15 अन्य बड़े पेड़ों की देखरेख करने एवं उन्हें कोई क्षति नहीं होने देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन करता हूँ कि प्रार्थी का N.H.58 पर 64 Km की परिधि में पल्लवपुरम चैक पोस्ट के पास एक गुरुकुल है। इसकी पटरी पर सात सरकारी पेड़ सूख गये थे। रेन्जर महोदय द्वारा उनके स्थान पर 14 पेड़ लगाने के निर्देश दिये। उनके निर्देश के क्रम में मैंने चौदह पेड़ लगवा दिये हैं और उनके ट्री गार्ड भी तैयार करा दिये हैं। मैं मौके पर मौजूद पन्द्रह पेड़ व चौदह नये पेड़ (शीशम) कुल 29 पेड़ों को क्षति नहीं होने दूंगा।

मैं उपरोक्त लिखित वचन पढ़ता देता हूँ।

[signature]

(अशोक कुमार त्यागी) एड०
सं० पर्यावरण चेतना
12- फूल बाग कालोनी
मेरठ।